

इन्दौर विकास प्राधिकारी की योजना क्र. 78 अरण्य में आवासीय उपयोग के भूखण्डों को भू-स्वामी अधिकार पर न्यूनतम दर के बराबर या अधिक दर पर व्ययन करने हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

अ. क्र.	योजना क्र.	ई-टेंडर पोर्टल कमांक	संपत्ति का विवरण	आरक्षित श्रेणी	क्षेत्रफल (व. मी.)	न्यूनतम दर (प्रति व. मी.)	अर्नेस्ट मनी (रु. लाख में)
1	78 अरण्य	2024_DTCP_330554_1	14	सामान्य	226.92	1,50,000	34.04
2	78 अरण्य	2024_DTCP_330568_1	15 (कार्नर)	सामान्य	233.43	1,75,000	40.85
3	78 अरण्य	2024_DTCP_330571_1	42 (कार्नर)	सामान्य	137.16	2,25,000	30.86
4	78 अरण्य	2024_DTCP_330574_1	54 (कार्नर)	सामान्य	183.69	2,25,000	41.33
5	78 अरण्य	2024_DTCP_330575_1	55 (कार्नर)	सामान्य	164.70	2,00,000	32.94
6	78 अरण्य	2024_DTCP_330579_1	38-ए (कार्नर)	सामान्य	359.64	2,75,000	98.90

ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की तिथियाँ

अ.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
1	निविदा प्रपत्र क्य करने की आरंभ दिनांक एवं समय	10.02.2024	14:00 hrs.
2	निविदा प्रपत्र क्य करने एवं भरने की अंतिम दिनांक एवं समय	05.03.2024	17:30 hrs.
3	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र खोलने एवं जाँचने का दिनांक एवं समय	07.03.2024	11:30 hrs
4	पात्र निविदादाताओं के आनलाइन वित्तीय प्रस्ताव खोलने का दिनांक एवं समय	11.03.2024	11:30 hrs

नोट :-

- निविदा ई-प्रोक्योरमेंट पद्धति से पोर्टल <https://www.mptenders.gov.in> पर देखी एवं ऑनलाईन क्य की जा सकती है। ई-टेंडर हेल्प डेस्क का टेल फ्री नंबर 01204001002 है।
- निविदा में भाग लेने हेतु निविदा प्रस्तुतकर्ता अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति) राशि का भुगतान ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकेगा।
- निविदादाता को अपने निविदा ऑफर (दर) ऑनलाईन देना होगा। सभी डाक्यूमेंट्स ऑनलाईन अपलोड करना होंगे। निविदादाता को पंजीयन राशि रसीद, पेन नंबर, निविदा प्रपत्र, निविदा की शर्तें आदि की प्रति स्केनिंग करके ऑनलाईन अपलोड करना होगा।
- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल वेबसाइट पर ही प्रदर्शित किया जायेगा, जिसे पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।
- सम्पत्ति की प्रीमियम की प्रथम 25 प्रतिशत राशि (अमानत राशि सहित) आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 1 माह की अवधि में जमा कराना होगा एवं शेष प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि आगामी 3 माह की अवधि में अर्थात् आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 4 माह की अवधि में जमा कराना होगा। निर्धारित समयवधि में प्रीमियम की राशि जमा न करने पर व्ययन नियम, 2018 के नियम 12 अनुसार सम्पत्ति की निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी।
- प्राधिकरण को निविदा स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

अधिक जानकारी के लिये कार्यालयीन समय में मो. 98936-99113 पर संपर्क करें।

एवं प्राधिकारी की वेबसाइट www.idaindore.org पर देखें